

न्यायालय तहसीलदार बयाना (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी—श्री छीतरसिंह तहसीलदार बयाना)

प्र0स0 20/2019 ता0 रजु. 27.06.2019 किस्म मुकदमा 91 एलआर एक्ट निर्णय दिनांक 24.07.19

सरकार

बनाम

ओमप्रकाश/किशोरी जाति मीना निवासी मिलकपुर तह0 बयाना जिला—भरतपुर।

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का मिलकपुर ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है कि ग्राम मिलकपुर के खसरा न0 1482/2 रकवा 0.47 हैक्ट में से रकवा 0.01 हैक्ट किस्म भूमि सिवायचक पर सम्वत 2076 में श्री ओमप्रकाश किशोरी जाति मीना निवासी मिलकपुर तह0 बयाना ने धूड़ा डालकर अतिक्रमण कर लिया है।

हल्का पटवारी रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। जो शामिल मिसिल है। अप्रार्थी उपस्थित हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अप्रार्थी के विरुद्ध कार्यवाही अमल में लायी गई। अतिक्रमी द्वारा राजकीय सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण किया है। अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल करना राज्यहित में आवश्यक है।

अतः आदेश है कि अतिक्रमी के विरुद्ध एकपक्षीय न्यायिक कार्यवाही कर अतिक्रमित खसरा नम्बर 1482/2 रकवा 0.01 हैक्ट वाके ग्राम मिलकपुर से बेदखल किया जाता है। लगान 0.31 का 50 गुणा पैन्ल्टी राशि 16 रूपये से दण्डित किया जाता है। पैन्ल्टी की मांग कायमी टी0आर0ए0 हाजा से कराई जावे। पैन्ल्टी वसूली कर अवैध कब्जा हटाने बाबत् हल्का पटवारी/गिरदावर को आदेश जारी हों।

पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 24.07.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

इस बयाना का वाच नामः
वा. वे. नं. 04 के पेज नं.
दिनांक 26/21/19 का बंद 2019-20
पैन्ल्टी रु.16... कायमी
व. की जा चुकी है।

वहोदय सिबरम देसाय
वहोदय बजाज

तहसीलदार
बयाना (भरतपुर)